न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 02/2015

प्रार्थी–

महिपालसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी हरसाणी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत हरसाणी पंचायत समिति शिव जिला बाड़मेर
2. श्रवणसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी हरसाणी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या शुन्य मिसल सं. शुन्य/2009–10 दिनांक 05.12.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम हरसाणी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. शुन्य दिनांक 05.12.2009 जारी किया गया। इस [illegible] कुल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित [illegible] है। ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा इस पट्टा [illegible] करने मे राजस्थान [illegible] राज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना [illegible] किये जाने से उक्त [illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Lon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत हरसाणी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियम 167(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जिस विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया हैं वह भूमि गैर मुमकीन गोचर की भूमि थी जिसे ग्राम पंचायत ने आबादी में संपरिवर्तन करवााया है तथा उसके बाद मे व्यवसायिक में संपरिवर्तन करवाकर पट्टे जारी किये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा कूटरचित तरीके से निष्पादित किया गया हैं इसलिय इसमें राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 143, 148, 150 से 155 की कोई पालना नहीं की गई हैं। आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा जारी किया जाना बताया गया हैं जबकि विवादित पट्टे पर सरपंच व ग्रामसेवक के न तो हस्ताक्षर है तथा न ही मोहर लगी हुई हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टे बाबत कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत हरसाणी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में मात्र एक पट्टे की प्रति उपलब्ध हैं इसके अलावा कोई दस्तावेज या पत्रावली मौ[illegible] है। आलौच्य पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड शिव से गडरारोड़ [illegible] आया हुआ हैं जिसकी कीमत एक लाख रूपये से अधिक हैं परन्तु अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में नीलामी में सबसे उंची बोली मात्र 8820/- रूपये अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में स्वीकृत

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:19 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया जाना बताया हैं। पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों में विहित प्रक्रिया के तहत नीलामी स्वीकृति का जिला कलेक्टर से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक हैं जो हस्तगत प्रकरण में नहीं कराया गया हैं। ग्राम पंचायत परिसर में उक्त नीलामी की कोई प्रक्रिया नहीं की गई हैं एवं सरपंच व ग्रामसेवक द्वारा इस पट्टे पर हस्ताक्षर भी अंकित नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में आलौच्य पट्टा विलेख पूर्ण रूप से कपट एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर कूटरचित तरीके से निष्पादित किया गया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा संकल्प सं. 8 दिनांक 05.12.2009 को कूटरचित एवं फर्जी तरीके से निष्पादित आलौच्य पट्टा जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम किया गया है को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 167(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का नीलामी के द्वारा विक्रय के तहत जारी किया जाता हैं जबकि ग्राम पंचायत में उक्त नीलामी की कोई प्रक्रिया नहीं की गई हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत हरसाणी से आलौच्य पट्टा से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 श्रवणसिंह द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.01.2009 को आवासीय भूखण्ड का पट्टा बरवाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर आवेदन–पत्र में आवेदित भूखण्ड का मौका निरीक्षण करने हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया जाकर आगामी बैठक में मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा गठित मौका कमेटी के तीन सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त मौका निरीक्षण प्रपत्र पत्रावली में सम्मिलित हैं किन्तु यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

निरीक्षण किस दिनांक एवं मौतबिरान के रूबरू किया गया है का उल्लेख नहीं हैं। इसके पश्चात सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी किया गया हैं जिसमे अप्रार्थी के 250 वर्गफूट के कब्जे का आरेख अंकित किया गया हैं अर्थात् उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का पहले से ही व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कब्जा विद्यमान रहा हैं। सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने के नोटिस की निर्धारित मयाद एक माह में कोई उजरदारी प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 20.05.2009 को पट्टो जारी किये जाने की अनुशंषा की गई हैं। ग्राम पंचायत की ओर से बैठक एवं संकल्प के बिना सरपंच की ओर से यह अनुशंषा की गई हैं तथा दिनांक 05.12.2009 को 8820/– रूपये जमा होने पर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया जाना आदेशिका में अंकित किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा उक्त राशि किस निर्णय अथवा आदेश की अनुपालना में जमा कराई गई हैं इसका पत्रावली में कोई विवरण अंकित नहीं हैं तथा न ही नीलामी प्रक्रिया का ही उल्लेख हैं। ग्राम पंचायत की पत्रावली में जो पट्टे की कार्यालय परत सम्मिलित की गई हैं उस पर सरपंच एवं ग्रामसेवक के हस्ताक्षर भी अंकित नही हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता हैं कि आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं तथा इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने पर अनुपस्थित रहे हैं एवं अपने बचाव में कोई पक्ष नहीं रखा हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अवैध रूप से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कब्जे की भूमि का आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों में अनियमितता एवं अपूर्णता के साथ ही आबादी भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कब्जे का अवैध रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा बैठक दिनांक 05.12.2009 के संकल्प सं. 08 के तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. शुन्य दिनांक 05.12.2009 को निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:19 IST
Reason: SelfAttested